



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072025-264832
CG-DL-E-19072025-264832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 2025/आषाढ़ 28, 1947

No. 438]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 2025/ASHADHA 28, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2025

सं. 34/2025-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 481(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 146/94- सीमाशुल्क, दिनांक 13 जुलाई, 1994, जिसे सा.का.नि. 575(अ), दिनांक 13 जुलाई, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 10क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा।

[फा. सं. 190355/24/2025- टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 146/94- सीमाशुल्क, दिनांक 13 जुलाई, 1994, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, संख्या सा.का.नि. 575(अ), दिनांक 13 जुलाई, 1994 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 33/2025- सीमाशुल्क, दिनांक 18 जुलाई, 2025 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, संख्या सीमाशुल्क 477(अ), दिनांक 18 जुलाई, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2025

No. 34/2025-Customs

G.S.R. 481(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 146/94-Customs, dated the 13th July, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 575 (E), dated the 13th July, 1994, namely: -

In the said notification, in the TABLE, S. No. 10A and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 190355/24/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 146/94-Customs, dated the 13th July, 1994, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 575(E), dated the 13th July, 1994 and was last amended vide notification No. 33/2025-Customs, dated the 18th July, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 477(E), dated the 18th July, 2025.